

प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी)

परियोजना अधिकारियों, अधिशासी अधिकारियों
एवं विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों हेतु
एक दिवसीय कार्यशाला

दिनांक : 9 –10 अगस्त, 2016
लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान
संस्थान डालीबाग, लखनऊ



आयोजक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, सूडा, उ०प्र०
(नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ.प्र.
शासन के अधीन एक अभिकरण)

मिशन के उद्देश्य हेतु परिभाषाएं

किफायती आवास परियोजनाएं	आवासीय परियोजनाएं जहां ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 35 प्रतिशत आवासों का निर्माण किया जाता है।
लाभार्थी	लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। लाभार्थी परिवार के पास या तो उसके नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (सभी मौसम वाली रिहायशी इकाइया) नहीं होना चाहिए।
कारपेट क्षेत्र	दीवार के साथ लगा क्षेत्र, कारपेट बिछाने हेतु वास्तविक क्षेत्र। इस क्षेत्र में अन्दर की दीवार की मोटाई शामिल नहीं है।
केन्द्रीय नोडल एजेंसी	मिशन के ऋण आधारित सबसिडी घटक के कार्यान्वयन के उद्देश्य हेतु मंत्रालय द्वारा निर्धारित नोडल एजेंसी
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	ईडब्ल्यूएस परिवार 3,00,000 रु. (तीन लाख रु.) तक की वार्षिक आय वाले कहे जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र के साथ परामर्श करके स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर वार्षिक आय मानदण्ड को पुनःपरिभाषित करने की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
ईडब्ल्यूएस मकान	सभी मौसम में टिकने वाली एकल इकाई अथवा 30 वर्ग मी. तक के कारपेट क्षेत्र वाले बहुमंजिले अधोसंरचना में एक इकाई जिसमें शौचालय, जल, बिजली इत्यादि जैसी पर्याप्त बुनियादी सेवाएं और अवस्थापना सेवाएं हो। राज्य मंत्रालय को सूचित करते हुए अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ईडब्ल्यूएस के क्षेत्र को निर्धारित कर सकते हैं।
फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफएआर)/ एफएसआई	प्लॉट के क्षेत्रफल द्वारा फर्शी पर कुल शामिल क्षेत्र (प्लिंथ क्षेत्र) को विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल: $\text{एफएआर} = \frac{\text{सभी मंजिलों पर कुल शामिल क्षेत्र} \times 100}{\text{प्लॉट का क्षेत्रफल}}$ <p>यदि राज्य/शहर में इस परिभाषा में कोई भेद है तो राज्य/शहर की परिभाषा से इस मिशन के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा।</p>
कार्यान्वयन एजेंसियां	कार्यान्वयन एजेंसियां ऐसी एजेंसिया हैं जैसे शहरी स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, आवासीय बोर्ड इत्यादि जिनका चयन राज्य सरकार/एसएलएसएमसी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के कार्यान्वयन के लिए किया गया है।
निम्न आय वर्ग (एलआईजी)	ईडब्ल्यूएस परिवार 3,00,001 रुपए(तीन लाख रु.) से 6,00,000 रुपए(6 लाख रु.) तक की वार्षिक आय वाले परिवार कहे जाते हैं। राज्य/संघ क्षेत्र केन्द्र के साथ परामर्श करके स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर वार्षिक आय मानदण्ड को पुनःपरिभाषित करने की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आवास वित्त कंपनियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), राज्य सहकारिता बैंक, शहरी सहकारिता बैंक अथवा मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली कोई अन्य संस्था।
स्लम	खराब तरीके से बने संकुल चाल जहां लगभग 60-70 परिवार अथवा कम से कम 300 की आबादी एक सघन क्षेत्र में सामान्यतया अपर्याप्त अवस्थापना वाले अस्वच्छ माहौल में रहते हैं और जहां उचित सफाई एवं पेयजल सुविधाओं का अभाव रहता है।
राज्य मोडल एजेंसियां (एसएलएनए)	मिशन के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल एजेंसी।
विकास अधिकार का अंतरण (टीडीआर)	टीडीआर का अर्थ भूमि के स्वामी द्वारा छोड़े गए क्षेत्र के स्थान पर अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की निश्चित धनराशि उपलब्ध कराना है ताकि वह किसी अन्य भूमि पर अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का उपयोग कर सके।

संक्षिप्तियां

ए एंड ओई	प्रशानिक और अन्य व्यय	एलआईजी	निम्न आय समूह
एएचपी	भागीदारी में किफायती आवास	एमडी	मिशन निदेशालय
एआईपी	वार्षिक कार्यान्वयन योजन	एमओए	करार ज्ञापन
बीएमटीपीसी	भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद	एमओएचयूपीए	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
सीडीपी	नगर विकास योजना	एमओयू	करार ज्ञापन
सीएलएस	ऋण आधारित सब्सिडी	एनए	गैर कृषि (एनए)
सीएनए	केन्द्रीय नोडल एजेंसियां	एनबीसी	राष्ट्रीय भवन संहिता
सीपीएचईईओ	केन्द्रीय लोब स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन	एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
सीएसएमसी	केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति	एनओसी	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	एनपीवी	निवल वर्तमान मूल्य
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	पीएलआई	प्राथमिक कल्याण संगठन
ईएमआई	समान मासिक किस्त	आरडब्ल्यूए	आवासीय कल्याण संगठन
ईडब्ल्यूएस	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	एसईसीसी	सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना
एफएआर	फर्शी क्षेत्र अनुपात	एसएफसीपीओए	स्लम मुक्त नगर कार्य योजना
एफएसआई	फर्शी स्थान सूची	एसएलएसी	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति
एचएफए	सभी के लिए आवास	एसएलएनए	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियां
एचएफपीओए	सभी के लिए आवास कार्य योजना	एसएलएसएमसी	राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति
एचयूडीसीओ	आवास और नगर विकास निगम	टीडीआर	विकास अधिकारों का अंतरण
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार	टीपीक्यूएमए	तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी
आईएफडी	एकीकृत वित्त प्रभाग	यूएलबी	शहरी स्थानीय निकाय
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
आईएस	भारतीय मानक		

सबके लिए आवास : अवलोकन

- “सबके लिए आवास” मिशन अपने सभी घटकों के साथ दिनांक 17-06-2015 से लागू।
- वर्ष 2015-2022 के दौरान शहरी क्षेत्रों के “सबके लिए आवास” मिशन कार्यान्वित किया जायेगा।
- यह योजना सभी शहरों में लागू होगी।
- मिशन में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी श्रेणियों से संबंधित सभी 4041 वैधानिक कस्बों और लाभार्थियों को कवर किया जायेगा।
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
- 30 वर्ग मीटर के फर्शी क्षेत्रफल तक के आवासों के निर्माण में आर्थिक सहायता।
- सभी आवासों में अनिवार्य रूप से शौचालय की सुविधा होनी चाहिए।

सबके लिए आवास : मुख्य बिन्दु

- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
- लाभार्थी परिवार के पास या तो उनके नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (सभी मौसम वाली रिहायशी इकाईयां) नहीं होना चाहिए।
- एक परिवारिक आय के रूप में 3 लाख रु० ईडब्ल्यूएस श्रेणी में एवं 3-6 लाख रु० एलआईजी श्रेणी में।
- राज्य स्तर पर परियोजना की मंजूरी।
- लाभार्थी का आधार कार्ड / बैंक खाता संख्या / पैन नंबर (यदि उपलब्ध हो) या लाभार्थी के जिले के राजस्व प्राधिकरण से घर स्वामित्व का प्रमाण पत्र।

सबके लिए आवास : उद्देश्य

- शहरी गरीबों को आवास के साथ-साथ आधारभूत संरचना की सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके।
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास की सुविधा उपलब्ध कराना।
- ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास की सुविधा उपलब्ध कराना।
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी।
- स्लम पुनर्वास।

सबके लिए आवास : घटक

- भूमि का उपयोग कर मौजूदा झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के "बगल में" पुनर्वास निजी भागीदारी के माध्यम से एक संसाधन के रूप में।
- क्रेडिट लिंकड सब्सिडी (सीएलएस)।
- भागीदारी में किफायती आवास।
- लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्ति के घर के निर्माण या बढ़ाने के लिए सब्सिडी।
- ❖ क्रेडिट लिंकड सब्सिडी (सीएलएस) घटक केंद्र की योजना है, जबकि 3 अन्य केन्द्र सम्पोषित योजना है।

सबके लिए आवास : चरण

- प्रथम चरण : अप्रैल, 2015 – मार्च, 2017
- द्वितीय चरण : अप्रैल, 2017 – मार्च, 2019
- तृतीय चरण : अप्रैल, 2019 – मार्च, 2022

सबके लिए आवास : कार्य पद्धति

“स्व स्थाने” स्लम पुनर्विकास

- संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग।
- निजी भगीदारी के साथ और लोक प्राधिकरण द्वारा।
- अतिरिक्त एफएसआई / टीडीआर/एफएआर परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए यदि अपेक्षित हो।

क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास

- नए आवास एवं आवासों के विस्तार के लिए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हेतु सब्सिडी।
- ईडब्ल्यूएस : वार्षिक पारिवारिक आय 03 लाख रु० तक और आवास का आकार 30 वर्ग मीटर तक।
- एलआईजी : वार्षिक पारिवारिक आय 03 - 06 लाख रु० के बिच और आवास का आकार 60 वर्ग मीटर तक।

भागीदारी में किफायती आवास

- पैरास्टेटल एजेंसियों सहित निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के साथ।
- किफायती आवासीय परियोजनाओं में जहाँ 35% निर्मित आवास ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए हैं, प्रति ईडब्ल्यूएस आवास केन्द्रीय सहायता।

लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी

- व्यक्तिगत आवास की अपेक्षा वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए।
- राज्य के ऐसे लाभार्थियों के लिए पृथक परियोजना तैयार करनी हैं।
- अलग-अलग छितरे हुए लाभार्थियों को शामिल नहीं किया जायेगा।

लाभार्थी केवल एक घटक के तहत लाभ ले सकते हैं।

नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा किये जाने वाले कार्य

स्थानीय क्षेत्रों में विज्ञापन के माध्यम से लोगों का योजना के बारे में जागरूक करें, ताकि पात्र लोगों को लाभान्वित किया जा सके।

HFA योजना के लिए राष्ट्रीयकृत बैंको में खाता खोल कर की विस्तृत जानकारी बैंक का नाम IFS Code No. और खाता संख्या एक सप्ताह के अन्दर विभाग को जमा करें और सारे खातों को Public Finance Management System (PFMS) में रजिस्टर्ड करें।

Geo-Tagging Photograph के लिए Surveyor की पहचान कर उनका नाम और मोबाइल नं० विभाग को उपलब्ध कराएँ ताकि विभाग द्वारा उनको Geo-Tagging की Training दी जा सके।

HFA योजना के अन्तर्गत (Adhar Card) होना आवश्यक है इसलिए जिन लोगों के पास (Adhar Card) नहीं बन सका है उन सभी जगहों पर Camp के माध्यम से इसे पूरा करें।

जिन नगर निकायों में अन्य आवासीय योजना (BSUP, IHSDP, RAY) का कार्य प्रगति में है, उस सभी आवासीय योजना को दिसम्बर 2016 तक पूरा करना है, और वैसे आवासीय इकाई की संख्या जिन पर कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है उन सभी आवासीय इकाईयों पर एक महीने के अन्दर कार्य प्रारम्भ करें।

इन सभी योजनाओं का UC जमा करना आवश्यक है, जिन निकायों का UC जमा करना बाकी है वे एक सप्ताह के अन्दर विभाग को जमा करें। ऐसा नहीं किया गया तो HFA योजना में उन निकायों को आवास स्वीकृत होने में कठिनाई हो सकती है।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत—सबके लिए आवास हेतु योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्तर्गत लाभार्थी को नीति में वर्णित विभिन्न घटकों के अन्तर्गत आवास हेतु लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश में रह रहे नगर क्षेत्र के सभी आवासहीन परिवारों (झुग्गी बस्ती या गैर झुग्गी बस्ती में निवास करने वाले) से प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस हेतु जनपद मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के इच्छुक हितग्राही अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर सम्बन्धित डूडा कार्यालय में तथा नगर पालिका/नगर पंचायत के इच्छुक हितग्राही अपना आवेदन पत्र नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय में दिनांक 10.09.2016 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र विचारणीय योग्य नहीं होंगे।

हितग्राहियों के लिए पात्रता

- भारत ने कहीं पर भी पक्का आवास नहीं होना चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा रु० 3 लाख तक एवं निम्न आयु (LIG) वर्ग के हितग्राहियों के लिए वार्षिक आय सीमा रु० 3 लाख से 6 लाख तक है।
- बैंक खाता पास बुक की छायाप्रति, जो वर्तमान में चालू हो।
- आधार कार्ड क्रमांक/वोटर कार्ड की छायाप्रति एवं मोबाइल नम्बर जो चालू हो।
- जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित संवर्ग में हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) की छायाप्रति।
- विकलांग प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) की छायाप्रति।
- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी/भूतपूर्व सैनिक यदि हों तो उनके प्रमाण की छायाप्रति।
- भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज की छायाप्रति।

नोट:—1. अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित अधिषासी अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, डूडा से सम्पर्क कर सकते हैं।


2. फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे www.sudaup.org से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन हेतु कोई शुल्क नहीं है।

वैयक्तिक गृह ऋण आवेदन ; ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज

1.1/2 .kl st ... Central Sector Scheme

... WS/LIG ...

... आधार/मतदाता पहचान पत्र/विशेष पहचान पत्र अथवा आवास स्वामित्व प्रमाण पत्र



(2) भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लमवासियों का स्लम पुनर्वास (केन्द्र प्रायोजित योजना / Centrally Sponsered Scheme):—

इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय की भूमि व निजी स्वामित्व की भूमि पर बने स्लमों में स्लमवासियों को इन-सीटू पुनर्विकास कर नये आवास उपलब्ध कराये जायेंगे। स्लम पुनर्विकास के लिए निजी भागीदार का चयन खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से होगा। निजी स्वामित्व की भूमि पर बसे स्लम को छोड़कर शेष स्लमों के पुनर्विकास के लिए रू0 1.00 लाख प्रति आवास की दर से अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा देय होगा।

स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं को वित्तीय रूप से सफल बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न सहायता प्रदान की जायेगी:—

(1) राज्य सरकार द्वारा स्लम पुनर्वास परियोजनाओं में केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश के रूप में रू0

1-00 लाख प्रति आवास अनुदान दिया जायेगा।

(2) मिशन के घटक 'ख'—“भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करके “स्वस्थाने” स्लम का विकास” का उद्देश्य स्लम से आच्छादित भूमि के पोटेन्शियल का उपयोग संसाधन के रूप में करते हुए पात्र स्लम आवासी को आवास उपलब्ध कराना है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के विभिन्न घटकों के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित अभिकरणों के स्तर पर उनके कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले ऐसे स्लम जिनकी भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिकरण के अन्तर्गत निहित हो, पर इस घटक के अन्तर्गत परियोजनायें बनायी जा सकती हैं, जिन पर मिशन की गाइड-लाईन्स में उल्लिखित विभिन्न मदों यथा; एफ.ए.आर. में वृद्धि/टी.डी.आर. दिये जाने, भू-प्रयोग परिवर्तन की देयता के सम्बन्ध एवं भूखण्डों के अमलगमेशन इत्यादि पर केस-टू-केस के आधार पर छूट दिये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

स्लम पुनर्विकास परियोजना के अन्तर्गत दो संघटक हैं:—

(अ) “स्लम पुनर्वास संघटक” जो पात्र स्लमवासियों को बुनियादी सिविक अवसंरचना के साथ आवास प्रदान करेगा।

(ब) “मुक्त बिक्री संघटक” जो विकासकर्ताओं को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा ताकि परियोजना को क्रास सब्सिडी दी जा सके।

स्लम पुनर्विकास परियोजना के लिये खुली बोली से सकारात्मक प्रीमियम अथवा नकारात्मक प्रीमियम प्राप्त हो सकता है। सकारात्मक प्रीमियम के मामले में, उच्चतम सकारात्मक प्रीमियम वाले विकासकर्ता का चयन किया जायेगा। नकारात्मक प्रीमियम के मामले में निम्नतम नकारात्मक प्रीमियम का प्रस्ताव करने वाले बोलीकर्ता का चयन किया जाएगा।

ऐसी सभी परियोजनाओं में पात्र स्लमवासियों के लिए रू0 1.00 लाख प्रति आवास औसतन का स्लम पुनर्विकास अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा। इस योजना में केन्द्रांश एवं राज्य सरकार का फंडिंग पैटर्न 60:40 निर्धारित किया गया है। अतः केन्द्रीय सहायता रू0 1.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश सरकार द्वारा रू0 0.67 लाख स्वीकृत किया जायेगा। इसके अन्तर्गत केवल उन्हीं स्लमवासियों को लाभान्वित किया जायेगा जो योजना लागू होने की तिथि 25.06.2015 को व उससे पूर्व स्व-स्थाने निवास कर रहे हों, जिसके लिए प्रमाण स्वरूप निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, विद्युत कनेक्शन बिल, बैंक

पासबुक अथवा ड्राइविंग लाईसेंस में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इस घटक के अन्तर्गत सर्वेक्षित लाभार्थियों का डाटा फार्म-4ए पर भरा जायेगा।

(3) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास (केन्द्र प्रायोजित योजना / Centrally Sponsered Scheme):-

इस घटक के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से किफायती आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। किफायती आवासों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अपनी एजेन्सियों अथवा निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं के साथ भागीदारी से किफायती आवास परियोजनाएं तैयार की जाएगी।

आवासों को किफायती एवं क्रय क्षमता के अनुरूप बनाने के लिए निर्मित भवनों की सीलिंग कास्ट ई. डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. हाऊसिंग नीति विषयक शासनादेश दिनांक 05.12.2013 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार होगी तथा विकासकर्ताओं को उक्त शासनादेश के अनुसार निःशुल्क अतिरिक्त एफ.ए.आर. एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य होगी। किफायती आवास परियोजनाओं में अन्य वर्गों के लिए आवासों का निर्माण सम्मिलित होगा, किन्तु परियोजना इस घटक के अन्तर्गत तभी अनुमोदित की जा सकेगी, जब उसमें न्यूनतम 35 प्रतिशत आवास ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के लिए प्रस्तावित होंगे तथा परियोजना में निर्मित किए जाने वाले आवासों की न्यूनतम संख्या 250 होगी। परियोजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जाएगा तथा आवासों का आवंटन राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति के अनुमोदन से सम्बन्धित अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

इस घटक योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के लिए प्रति आवास की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 09-11.2015 के अनुसार इस योजना में 60 प्रतिशत केन्द्रांश के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

भागीदारी में किफायती आवास घटक 'डवटेलिंग' के अनुमोदन हेतु सम्बन्धित अभिकरण/ विकासकर्ता द्वारा यदि योजना नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत है, तो सूडा के माध्यम से तथा अन्य समस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित योजनाओं को निदेशक, आवास बन्धु के माध्यम से नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के शासनादेश संख्या-162/2016/623/69-1-2016-14 (139)/2015टी.सी. दिनांक 21.03.2016 में निर्धारित प्रक्रियानुसार राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट टिप्पणियों और संस्तुतियों सहित मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति की निगरानी समिति को प्रस्तुत करेगी। केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं से 'डवटेलिंग' हेतु प्रस्तावित योजनाओं को केन्द्रीय अनुदान एवं राज्यांश के रूप में वित्तीय सहायता नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 21.03.2016 में निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अनुसार उपलब्ध होगी।

(4) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी (केन्द्र प्रायोजित योजना / अदजतंससल चवदेमतमक बीमउम):-

(4) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत नया आवास निर्माण।

इस घटक के अन्तर्गत उपर्युक्त 03 घटकों का लाभ न ले पाने वाले लाभार्थियों को शामिल किया


गया है। नये आवासों के निर्माण के लिए अथवा मौजूदा आवास के सुधार के लिए इस घटक के लाभार्थियों के लिए रु0 1.5 लाख की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे लाभार्थी स्लमों अथवा स्लमों के बाहर रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग होंगे।

इस योजना में ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के लिए 30 वर्ग मीटर के लिए नये आवास का प्रावधान है।

1. लाभार्थी द्वारा दी गयी सूचना, आवास, भवन निर्माण योजना को स्थानीय निकाय द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, जिससे भूमि के स्वामित्व व अन्य ब्यौरो जैसे—आर्थिक स्थिति और पात्रता का पता लगाया जायेगा। इस हेतु लाभार्थी की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी हेतु कच्चा, अर्द्धकच्चा आदि जैसे आवासों की स्थिति की जांच, सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना (एससीसीसी) के आंकड़ों के साथ की जायेगी।
2. लाभार्थी के आवेदन के आधार पर शहरी स्थानीय निकाय नगर विकास योजना (सीडीपी) अथवा शहर की ऐसी योजनाओं के अनुसार ऐसे लाभार्थियों के लिए एकीकृत शहर व्यापी आवास परियोजना तैयार की जायेगी। व्यक्तिगत आवेदकों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के पात्र लाभार्थियों को भारत सरकार से रु0 1.50 लाख की केन्द्रीय सहायता इस घटक के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाएगी। वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार 60 प्रतिशत केन्द्रांश के सापेक्ष, 40 प्रतिशत राज्यांश अर्थात् रु0 1.50 लाख केन्द्रांश के सापेक्ष रु0 1.00 लाख, राज्यांश के रूप में प्रति आवास सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। भवन निर्माण लागत की शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा अंशदान के रूप में स्वयं वहन किया जायेगा।
4. इस घटक के अन्तर्गत ऐसे परिवार नये आवासों के निर्माण के लिए रु0 1.50 लाख तक की केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(4इ) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत विद्यमान आवासों का विस्तार।

1. इस घटक के अन्तर्गत ऐसे परिवार विद्यमान आवासों के विस्तार के लिए रु0 1.50 लाख तक की केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
2. जिन लाभार्थियों के पास पक्का अथवा अर्द्ध पक्का आवास है, जिसका कारपेट एरिया 21 वर्गमी0 तक है तथा यदि उसमें कमरा, रसोई, शौचालय, बाथरूम और किसी एक का कम्बीनेशन आदि में से किसी एक सुविधा नहीं है तो उसे भी आवास विस्तार हेतु निम्न शर्तों के साथ सम्मिलित किया जा सकता है:—
 - (अ) आवास विस्तार के पश्चात् आवास का कुल कारपेट एरिया 21 वर्ग मी0 से कम तथा 30 वर्ग मी0 से अधिक नहीं होना चाहिए।
 - (ब) आवास विस्तार का अर्थ है कि विद्यमान आवास में न्यूनतम कारपेट एरिया 9.00 वर्ग मी0 जोड़ा जायेगा, जिसमें एनबीसी0 मानक के अनुसार एक लिविंग रूम या कमरे के साथ रसोईघर और/या बाथरूम और/या शौचालय बनाया जायेगा।



एनबीसी मानक के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी हेतु न्यूनतम कारपेट एरिया



HOUSING FOR ALL BY 2022 (HFA)**FORMAT A: INFORMATION OF BENEFICIARY BEING COVERED UNDER
SLUM REHABILITATION**

1. Name of head of the family

2. Sex [Male: 01, Female: 02, Transgender:03]

3. Father's name

4. Age of head of the family

5. Present Address and Contact Details

i. House No.

ii. Name of the Slum

iii. City

iv. Mobile No.

6. Permanent Address

i. House/Flat/Door No.

ii. Name of the Street

iii. City/Village

iv. District, State

7. Aadhaar Card Number, if not available
Voter ID Card/Any other unique identification number
or a certificate of house ownership from Revenue Authority of beneficiary's native
district

8. Number & age of family members

Relationship to Head of the Family	Gender	Age	Aadhaar card /Voter ID Card/Any other unique identification number or a certificate of house ownership from Revenue Authority of beneficiary's native district

9. Religion
[Hindu-01, Muslim-02, Christian-03, Sikh-04, Jainism-05, Buddhism-06, Zoroastrianism-07, others (specify)-08]

10. Caste
[General-01, SC-02, ST-03, OBC-04]

11. Whether Person with Disability (Yes/No)

12. Marital Status [Married-01, Unmarried-02,
Single Woman/Widow-03]

13. Whether the family owns any house
anywhere in India (Yes/No)

a. If yes, then location details (Locality/ City/ State)

b. If yes, then extent of land in Sq.mtrs

14. Ownership details of existing house
[Own - 01, Rent - 02, Otherwise - 03]

15. Average monthly income of household (in Rs.)

Signature/Thumb Impression of Head of Household

Signature of representative of ULB in-charge
of above information

FORMAT B - REQUIRED INFORMATION OF BENEFICIARY*

1. Name of head of the family

2. Sex [Male- 01, Female: 02, Transgender:03]

3. Father's name

4. Age of head of the family

5. Present Address

 i. House/Flat/Door No.

 ii. Name of the Street

 iii. City

 iv. Mobile No.

6. Permanent Address

 i. House/Flat/Door No.

 ii. Name of the Street

 iii. City/ Village

 iv. District, State

7. Ownership details of existing house

 [Own - 01, Rent - 02, Otherwise - 03]

8. Type of the house based on roof type

 [Pucca (C' & Stone Slab)-01, Semi-Pucca (Asbestos/ Steel Sheet, Tiled)-02, Katcha (Grass/ thatched, Tarpaulin, Wooden)-03]

9. Number of rooms in the dwelling unit excluding kitchen

10. Aadhaar Card Number, if not available

 Voter ID Card/Any other unique identification number or a certificate of house ownership from Revenue Authority of beneficiary's native district

11. Number & age of family members

Relationship to Head of the Family	Gender	Age	Aadhaar card /Voter ID Card/Any other unique identification number or a certificate of house ownership from Revenue Authority of beneficiary's native district

12. Religion

[Hindu-01, Muslim-02, Christian-03, Sikh-04, Jainism-05, Buddhism-06, Zoroastrianism-07, others (specify)-08]

13. Caste

[General-01, SC-02, ST-03, OBC-04]

14. Bank Details

 a. Bank account number

 b. Name of the Bank & Branch

 c. IFSC Code of Bank

15. Number of Years of Stay in this Town/City
 [0 to 1 year - 01, 1 to 3 years - 02, 3 to 5 years - 03, More than 5 years-04]

16. Size of existing dwelling unit (Carpet area in square meters)

17. Whether Person with Disability (Yes/No)

18. Marital Status [Married-01, Unmarried-02, Single woman/Widow-03]

19. Whether the family owns any house anywhere in India (Yes/No)

a. If yes, then location details (Locality/City/State)

b. If yes, then extent of land in Sq.mtrs

20. Employment Status
 (Self Employed - 01, Salaried - 02, Regular Wage - 03, Labour - 04, Other - 05)

21. Average monthly income of household (in Rs.)

22. Does the family have a BPL Card (Yes / No)
 a. If yes, Provide BPL Card No.

23. Housing requirement of family (New House - 01, Enhancement - 02)

24. In case of enhancement, please specify enhancement required [One room/Kitchen/Bath/Toilet or combination of these]

25. Preferred component of Mission under which beneficiary need assistance under HFA

i. Credit linked subsidy - 01

ii. Affordable Housing in Partnership - 02

iii. Beneficiary-led individual house construction/enhancement - 03

26. Abridged Houselist TIN (from SECC)
 (If assistance under Beneficiary-led individual house construction/enhancement)

Signature/Thumb Impression of Head of Household

Note: Same format shall be used for probable slum dwellers and beneficiary of those slums, which have not been considered for slum redevelopment through Private Participation as per process flow chart of HFA Pool at page No.17 of the "Housing for All" Scheme guidelines.

Signature of representative of ULB in-charge of above information

Annexure 7A
(Para 14.5 of the Guidelines)

Formal for 'In-situ' Slum Redevelopment projects with Private Partner

1.	Name of the State	:							
2.	Name of the City	:							
3.	Name of Slum	:							
4.	Project Name	:							
5.	Project Code	:							
6.	State Level Nodal Agency	:							
7.	Implementing Agency (Urban Local Body/ Development Authority/ Housing Board/ Urban Improvement Trust/ Designated Slum Rehabilitation Agency/ Private agency/ Developer)	:							
8.	Date of approval by State Level Sanctioning and Monitoring Committee (SLSMC)	:							
9.	Project Cost (Rs. In Lakhs)	:							
10.	Project Duration (In months)	:							
11.	i) Status of slum (Please write: 1 if notified, 2 if recognised and 3 if identified)	:							
	ii) Total Slum area (Sq.m.)	:							
	iii) Area under slum rehabilitation (Sq.m.)	:							
	iv) Slum Population	:							
12.	No. of locations covered in project		Name of Location	No. of beneficiaries	Relative Slum (Sq.m)	Slum notified, - if recognised and 3 if identified	If Slum whether it gets completely rehabilitated y/o		
13.	No. of existing slum households	:	Gen	SC	ST	Other	Total	Person with Disability	Minority
14.	No. of eligible slum households	:							
15.	No. of houses Proposed (slum rehabilitation only) with carpet area	:							
16.	No. of houses constructed/acquired <i>Please specify ownership (any of these)</i>	:	Joint(01)	Female(02)	Male(03)	Transgender(04)			
17.	No. of beneficiaries covered in project	:	Male(01)		Female(02)		Transgender(03)		
18.	Whether beneficiary have been selected as per PMAY guidelines? (Yes/No)	:							
19.	Whether private partner has been selected through open competitive bidding? If yes, date of bidding	:							
20.	Incentives to Private Partner	:							
	i) Existing FSI in the area	:							
	ii) FSI provided in the project	:							
	iii) Other Incentives, if any	:							
21.	i) Govt grant required (Rs. 1.0 lakh per eligible slum dweller) (Rs. In Lakhs)	:							
	ii) State grant, if any (Rs. In Lakhs)	:							
	iii) ULB grant, if any (Rs. In Lakhs)	:							
	iv) Beneficiary Share (Rs. In Lakhs)	:							

	v) Total (Rs. In Lakhs)	
22.	Whether technical specification/dwelling unit design for housing have been ensured as per Indian Standards/NBC/ State norms?	:
23.	Type of Temporary arrangement for beneficiaries during construction period provided in the project (Rent / Transit Shelter)	:
24.	Whether trunk infrastructure is existing or is being provided through AMRUT or any other scheme? (Yes/No)	:
25.	Whether the provision of Civic infrastructure has been made as per applicable State norms/CPHEEO/IS Code/NBC? i) Water Supply (Yes/No) ii) Sewerage (Yes/No) iii) Road (Yes/No) iv) Storm Water Drain (Yes/No) v) External Electrification (Yes/No) vi) Solid Waste Management (Yes/No) vii) Any other, specify viii) In case, any infrastructure has not been proposed, reasons thereof	:
26.	Whether disaster (earthquake, flood, cyclone, landslide etc.) resistant features have been adopted in concept, design and implementation of the project?	:
27.	Whether Quality Assurance is part of the Project, if not, how it is proposed to be ensured?	:
28.	Whether O&M is part of Project, if yes, for how many years?	:
29.	Whether encumbrance free land is available for the project or not?	:
30.	Whether any innovative/cost effective/ Green technology adopted in the project?	:
31.	Comments of SIAC after techno economic appraisal of DPR	:
32.	Project brief including any other information : UIE/State would like to furnish	:

*State will give code number to each project sanctioned under HFA as 'ABCDEFGHIJKLM' (Where, 'AB' is State Code as per census, 'CDEFGHI' is City Code as per census, 'J' is running number of project of the city and 'K' is project component code i.e. 'K' will be 1- for In-situ slum development, 2- for Relocation, 3- for AHP and 4- for Beneficiary Led Construction or enhancement). 'L' will be N-for New, R - for Revised, 'M' will be running number which will be 0 for new and 1 and so on for revisions

It is hereby confirmed that State/UT and UIE have checked all the beneficiaries as per guidelines of HFA. It is also submitted that no beneficiary has been selected for more than one benefit under the Mission including Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) component of the Mission.

Consolidated information of all slums being redeveloped with use of Mission grants is enclosed.

Signature
(State Level Nodal Officer)

Signature
(Secretary/Principal Secretary, Concerned Department)

**Enclosure with Annexure 7A
(Para 14.5 of the Guidelines)**

**Consolidated information
on slums being redeveloped in the State, ULB wise as on Date**

Date: _____

S. No.	Name of the project	No. of DWs (slum rehabilitation only)	Date of Sanction	Project cost (slum rehabilitation Part)	Deployment of Gov share (Rs. In lakhs)
ULB-1					
i)					
ii)					
iii)					
ULB-2					
i)					
ii)					
iii)					

Signature:
(State Level Nodal Officer)

Signature:
(Secretary/Principal Secretary, Concerned Department)

Annexure 7B
(Para 14.5 of the Guidelines)

Format for Projects under Affordable Housing in Partnership (AHP)

1.	Name of the State	:									
2.	Name of the City	:									
3.	Project Name	:									
4.	Project Code	:									
5.	State Level Nodal Agency	:									
6.	Implementing Agency (Urban Local Body/ Development Authority/ Housing Board/ Urban Improvement Trust/Private agency/ Developer)	:									
7.	Date of approval by State Level Sanctioning and Monitoring Committee (SLSMC)	:									
8.	No. of locations covered in project	:	No. of locations	No. of schemes	Whether EWS (Yes/No)	Whether EWS units constructed	Whether EWS units included in cost				
9.	Project Cost (Rs. in Lakhs)	:	<table border="1"> <tr> <td>Central</td> <td>State</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Central	State			Other	Total	
Central	State										
10.	No. of EWS beneficiaries covered in the project	:	Gen.	SC	ST	SS	Other	Others with disability			
11.	Whether beneficiary have been selected as per PALAY guidelines? (Yes/No)	:									
12.	No. of houses constructed/acquired (Please specify ownership (any of these))	:	Joint (01)	Female (02)	Male (03)	Transgender (04)					
13.	No. of beneficiaries covered in project	:	Male (01)		Female (02)		Transgender (03)				
14.	Construction Cost of EWS Unit (Rs. in Lakhs)	:									
15.	Project Duration (in months)	:									
16.	Whether Sale Price is approved by State/UT?	:									
17.	If yes, Sale price of EWS unit (Rs. In Lakhs)	:									
18.	Carpet area of EWS unit in sqm.	:									
19.	Total No of houses proposed in the Project	:									
	i) No. of EWS unit	:									
	ii) No. of LG units	:									
	iii) No. of MFG units	:									
	iv) No. of HIG units	:									
	v) No. of Commercial units, if any	:									
20.	Whether open and transparent procedure has been envisaged to select private partner, if private partner has been considered?	:									
21.	No. of EWS houses eligible for Central Assistance	:									
22.	i. Govt grant required (Rs. 1.50 lakh per eligible EWS house) (Rs. in Lakhs)	:									
	ii. State grant (Rs. In Lakhs)	:									
	iii. Land Cost (Rs. In Lakhs)	:									

	b. Cash Grant (if any) (Rs. In Lakhs)	
	iii. Implementing Agency share (Rs. In Lakhs)	
	iv. Beneficiary Share (Rs. In Lakhs)	
	v. Total (Rs. In Lakhs)	
23.	Whether technical specification/ design for housing have been ensured as per Indian Standards/NBC/ State norms?	:
24.	Whether trunk infrastructure is existing or is being provided through AMRUT or any other scheme? (Yes/No)	:
25.	Whether the provision of Civic infrastructure has been made as per applicable State norms/CPHEEO/IS Code/ etc	:
	i) Water Supply (Yes/No)	
	ii) Sewerage (Yes/No)	
	iii) Road (Yes/No)	
	iv) Storm water Drain (Yes/No)	
	v) External Electrification (Yes/No)	
	vi) Solid Waste management (Yes/No)	
	vii) Any other, specify	
	viii) In case, any infrastructure has not been proposed, reasons thereof	
26.	Whether adequate social infrastructure facilities covered in the project; If no, whether the same are available in vicinity?	:
27.	Whether disaster (earthquake, flood, cyclone, landslide etc.) resistant features have been adopted in concept, design and implementation of the project?	:
28.	Whether Quality Assurance is part of the Project, if not, how it is proposed to be ensured?	:
29.	Whether O&M is part of Project, if yes, for how many years?	:
30.	Whether encumbrance free land is available for the project or not?	:
31.	Whether any innovative/cost effective/ Green technology adopted in the project?	
32.	Comments of SLA* after techno economic appraisal of DPR	
33.	Project brief including any other information CLB/State would like to furnish	

*State will give code number to each project sanctioned under HFA as 'ABCDEFGHIJKLM' (Where, 'A' is State Code as per census, 'CDEFGH' is City Code as per census, 'I' is running number of project of the city and 'K' is project component code i.e. 'K' will be 1 - for In-situ slum development, 2 - for Relocation, 3 - for ATP and 4 - for Beneficiary Led Construction or enhancement). 'L' will be N-for New, R - for Revised, 'M' will be running number which will be 0 for new and 1 and so on for revisions.

It is hereby confirmed that State/ UT and CLB have checked all the beneficiaries as per guidelines of HFA. It is also submitted that no beneficiary has been selected for more than one benefit under the Mission including Credit Linked subsidy Scheme (CLSS) component of the Mission.

Signature
(State Level Nodal Officer)

Signature
(Secretary/Principal Secretary, Concerned Department)

Annexure 7C
(Para 14.5 of the Guidelines)

Format for Projects under Beneficiary led Construction (New Construction)

1.	Name of the State	:							
2.	Name of the City	:							
3.	Project Name	:							
4.	Project Code *	:							
5.	State Level Nodal Agency	:							
6.	Implementing Agency/ ULB	:							
7.	Date of approval by State Level Sanctioning and Monitoring Committee (SLSMC)	:							
8.	No. of locations covered in project	:	Name of Location	No. of beneficiaries	Whether Slum (y/n)	If y, is it notified, or if recognised and if identified	If Slum, whether it gets completely rehabilitated y/n		
9.	Project Cost (Rs. in Lakhs)	:							
10.	No. of beneficiaries covered in the project	:	Gen	SC	ST	OBC	Paral	Minority	Person with Disability
11.	Whether beneficiary have been selected as per PMAY guidelines? (Yes/No)	:							
12.	No. of houses constructed/acquired (please specify ownership (any of these)	:	Joint(01)	Female(02)	Male(03)	Transgender(04)			
13.	No. of beneficiaries covered in project	:	Male (01)	Female(02)	Transgender(03)				
14.	Whether it has been ensured that selected beneficiaries have rightful ownership of the land	:							
15.	Whether building Plan for all houses have been approved	:							
16.	i) Govt grant required (Rs. 1.5 lakh per eligible beneficiary) (Rs. in Lakhs)	:							
	ii) State grant, if any (Rs. in Lakhs)	:							
	iii) ULB grant, if any (Rs. in Lakhs)	:							
	iv) Beneficiary Share (Rs. in Lakhs)	:							
	v) Total (Rs. in Lakhs)	:							
17.	Whether technical specification/ design for housing have been ensured as per Indian Standards/NCC/ State norms?	:							
18.	Whether it has been ensured that balance cost of construction is tied up with State grant, ULB grant & beneficiary share?	:							
19.	Whether trunk and line infrastructure is existing or being provisioned	:							
	i) Water Supply (Yes/No)	:							
	ii) Sewerage (Yes/No)	:							
	iii) Road (Yes/No)	:							

	iv) Storm water Drain (Yes/No)	
	v) External Electrification (Yes/No)	
	vi) Solid Waste management (Yes/No)	
	vii) Any Other, specify	
	viii) In case, any infrastructure has not been proposed, reasons thereof	
20.	Whether disaster (earthquake, flood, cyclone, landslide etc.) resistant features have been adopted in concept, design and implementation?	:
21.	Whether Demand Survey Completed for entire city?	
22.	Whether Citywide integrated project have been formulated? If not, reasons thereof.	
23.	Whether validation with SECC data for housing conditions conducted?	
24.	Whether Direct Benefit Transfer (DBT) of fund to individual bank account of beneficiary ensured in the project?	
25.	Whether there is provision in DPR for tracking/monitoring the progress of individual houses through geo-tagged photographs?	
26.	Whether any innovative/cost effective/ Green technology adopted in the project.	
27.	Comments of SIAC after techno economic appraisal of DPR	
28.	Brief of project, including any other information ULB/State would like to furnish	

*State will give code number to each project sanctioned under IIFA as 'ABCDEFGHJKLM' (Where, 'AB' is State Code as per census, 'CDEFGH' is City Code as per census, 'I' is running number of project of the city and 'K' is project component code i.e. 'K' will be 1 - for In-situ slum development, 2- for Relocation, 3 - for AHP and 4 - for Beneficiary Led Construction or enhancement), 'L' will be N-for New, R - for Revised, 'M' will be running number which will be 0 for new and 1 and so on for revisions

It is hereby confirmed that State/ULB and ULB have checked all the beneficiaries as per guidelines of HPA. It is also submitted that no beneficiary has been selected for more than one benefit under the Mission including Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) component of the Mission.

Signature
(State Level Nodal Officer)

Signature
(Secretary/Principal Secretary, Concerned Department)

Format for Projects under Beneficiary led Construction (Enhancement)

1.	Name of the State	:							
2.	Name of the City	:							
3.	Project Name	:							
4.	Project Code	:							
5.	State Level Nodal Agency	:							
6.	Implementing Agency/U.B.	:							
7.	Date of approval by State Level Sanctioning and Monitoring Committee (S/SMC)	:							
8.	No. of locations covered in project	:	State of Location	No. of beneficiaries	Whether Slum (y/n)	If y, 1 if notified, 2 if recognised and 3 if identified	If Slum, whether it gets completely rehabilitated y/n		
9.	Project Cost (Rs. in Lakhs)	:							
10.	No. of Beneficiaries covered in the project	:	General	SC	ST	OBC	Total	Minority	Person with Disability
11.	Number of Beneficiaries with type of enhancement	:	One room	One room + Kitchen	One room + Toilet	One room + Bath room	One room + Toilet + Bath room	Total	
i.	Number of beneficiaries								
iii.	Govt grant required (Rs. in Lakhs)	:							
iv.	State grant, if any (Rs. in Lakhs)	:							
v.	U.B grant, if any (Rs. in Lakhs)	:							
vi.	Beneficiary Share, if any (Rs. in Lakhs)	:							
vii.	Total (Rs. in Lakhs)	:							
12.	Whether beneficiaries have been selected as per PMAY guidelines? (Yes/No)	:							

13.	No. of houses constructed/acquired <i>Please specify ownership (any of these)</i>	Joint(01)	Female(02)	Male(03)	Transgender(04)
14.	No. of beneficiaries covered in project	Male(01)	Female(02)	Transgender(03)	
15.	Whether it has been ensured that selected beneficiaries have rightful ownership of the land? (Yes/No)				
16.	Whether building plan for all houses have been approved? (Yes/No)				
17.	Whether the proposed enhancements are as per NDC norms? (Yes/No)				
18.	Whether the structural safety of the existing house ensured by the consultant? (Yes/No)				
19.	Whether the kind of line infrastructure is existing or being provisioned				
i.	Water supply (Yes/No)				
ii.	Sewerage (Yes/No)				
iii.	Road (Yes/No)				
iv.	Storm water drain (Yes/No)				
v.	External electrification (Yes/No)				
vi.	Solid waste management (Yes/No)				
vii.	Any other, specify				
viii.	In case, any infrastructure has been proposed, reasons thereof				
20.	Whether disaster (earthquake, fire, cyclone, landslides etc.) resistant features have been adopted in concept design and implementation?				

21.	Whether demand survey has been completed for entire city? (Yes/No)	:	
22.	Whether City-wide integrated project has been formulated? If not, reasons thereof.	:	
23.	Whether validation with SECC data for housing conditions conducted? (Yes/No)	:	
24.	Whether Direct Benefit Transfer (DBT) of fund to individual bank account of beneficiary ensured in the project?	:	
25.	Whether there is provision in DPR for tracking/monitoring the progress of individual houses through geo-tagged photographs?	:	
26.	Whether any innovative/ cost effective/ green technology adopted in the project?	:	
27.	Comments of SLAC after techno economic appraisal of DPR	:	
28.	Brief of project, including any other information ULB/State would like to furnish	:	
29.	Whether the enhancement proposed for each house is more than 9 sqmt area? (Yes/No)	:	
30.	Whether total carpet area of each house after enhancement is not less than 21 sqmt and not more than 30 sqmt? (Yes/No)	:	

**Enclosure to Annexure 8
(Para 14.6 of the Guidelines)**

**Mission for Housing for All by 2022
Mission Directorate
Format for Physical Progress of Projects Approved under the Mission**

Name of State:

Name of the State Nodal Agency:

Component I: Slum rehabilitation in partnership with Private Sector

(In Rs. Crs.)

Title of the project	No. of slum Households covered	Approved Project Cost	Approved GoI Support	Other funds	Funds utilised	
					GoI	Others

Component II : Affordable Housing in Partnership

(In Rs. Crs.)

Title of the project	No. of EWS Households sanctioned	Approved Project Cost	Approved GoI Support	Other funds	Funds utilised	
					GoI	Others

Component III : Subsidy for Individual Beneficiary for House construction/enhancement

(In Rs. Crs.)

Title of the project	No. of EWS houses approved	Approved Project Cost	Approved GoI Support	Other funds	Funds utilised	
					GoI	Others

Physical progress ¹	No. of Houses					
	01	02	03	04	05	06
Component I						
Component II						
Component III						

¹ Ground Level: 01; Plinth Level: 02; Roof level: 03; Finishing stage: 04; Superstructure completed (Final delivery only): 05; and Completed: 06

Applicable at the time of claiming the 3rd and final instalment of 20%

Name of the project location-wise	Houses Sanctioned	No. of slums		Houses completed with the requisite infrastructure, particularly the following: (i) Power Supply (ii) Water Supply and (iii) Drainage/ Sanitation	Houses Allotted			
		rehabilitated	de-notified		In the name of woman	In the name of Male	In Joint Name	In the name of Transgender

Enclosure: Undertaking

Undertaking:

This is to certify that the beneficiaries covered under the above-mentioned project have not been extended benefits under remaining other component of the Mission.

Signature (with Seal)
 Authorised Signatory
 Designation of the Official
 State Level Nodal Agency (Name)
 Date

Signature (with seal)
 Authorised Signatory
 Designation of the Official
 Department
 Name of State/UT
 Date

प्रपत्र सामान्य वित्त नियम 19—क
[नियम 212 (1) देखें]
उपयोग प्रमाण—पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे तालिका में दिए गये इस मंत्रालय/विभाग के पत्र संख्या के अंतर्गत _____ के पक्ष में वर्ष _____के दौरान स्वीकृत _____सहायता अनुदान की धनराशि में से और पिछले वर्ष की _____ अव्ययित शेष धनराशि का उपयोग _____ के उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसकी स्वीकृति दी गई थी और यह कि _____अव्ययित शेष धनराशि का उपयोग वर्ष के अन्त में किया जाएगा, सरकार को (दिनांक _____ के पत्र सं. _____ के तहत) वापस किया गया है/अगल वर्ष के दौरान अनुदान सहायता के लिए भुगतान हेतु समायोजित किया जाएगा।

क्र. सं.	पत्र सं० और तिथि	धनराशि
	कुल:—	

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों पर अनुदान सहायता स्वीकृत की गई थी विधिवत रूप से पूरा किया गया है/पूरा किया जा रहा है और कि मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित कवायदों की हैं कि धनराशि का उपयोग वास्तविक रूप से उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत था।

3. परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति जहां भारत सरकार के अनुदानों का उपयोग किया गया है, संलग्न है।
जांच कवायदों के प्रकार

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

हस्ताक्षर' _____
पद _____
दिनांक _____

संख्या-62/2016/623/69-1-2016-14(139)/2015 टी.सी.

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा)

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ दिनांक : २। मार्च, 2016

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय- 'प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन' का क्रियान्वयन।

महोदय

भारत सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन' का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को किया गया है तथा मिशन के क्रियान्वयन हेतु "स्कीम दिशा-निर्देश 2015" निर्गत किये गये हैं। यह मिशन वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा। मिशन के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई0डब्ल्यू0एस0) तथा निम्न आय वर्ग(एल0आई0जी0) के परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई0डब्ल्यू0एस0) रु0 3.00 लाख तक वार्षिक आय वर्ग वाले परिवार माने जायेंगे तथा निम्न आय वर्ग(एल0आई0जी0) 3.00 लाख रुपये से 6.00 लाख रु0 तक की वार्षिक आय वर्ग वाले परिवार माने जायेंगे। मिशन का उद्देश्य आधारभूत सिविक अवस्थापना सहित 30 वर्गमीटर के कारपेट एरिया तक के आवासों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है। निर्मित आवासों का न्यूनतम आकार राष्ट्रीय भवन संहिता (एन0बी0सी0) में प्रदान किये गये मानकों के अनुरूप होगा।

2. 'प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन' के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिए गये हैं:-

(1) भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के फण्डिंग पैटर्न आदि के निर्धारण के सम्बन्ध में गठित मुख्य मंत्रियों के उप समूह के द्वारा दी गई संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में योजनाओं में फण्डिंग पैटर्न 60:40 निर्धारित किया गया है, जिसे वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-8/2015/बी-1-4058/दस-2015-13/2015 दिनांक 09.11.2015 द्वारा लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के लिए केन्द्रांश 60 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। शेष 40 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन को 04 घटकों में विभाजित किया

गया है:-

(क) ऋण आधारित व्याज सस्विडी योजना-

इस घटक के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) तथा निम्न आय वर्ग (एल0आई0जी0) के लिये आवास निर्माण हेतु बैंक से लिये गये गृह ऋण के व्याज पर सस्विडी दी जायेगी। यह व्याज सस्विडी 6.5 प्रतिशत की दर से 15 वर्ष की अवधि के लिये केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। ऋण आधारित सस्विडी केवल रूपया 6.00 लाख तक ऋण राशि के लिये होगी। रूपया 6.00 लाख से अधिक का ऋण गैर सस्विडीकृत दर पर होगा। ऋण आधारित सस्विडी आवासों का नव निर्माण, कमरों का विस्तार, रसोई, शौचालय आदि के लिये दिया जायेगा। ई0डब्ल्यू0एस0 वर्ग के लिये आवास का आकार अधिकतम 30 वर्ग मीटर (कार्पेट एरिया) तथा एल0आई0जी0 वर्ग के लिये आवास का आकार अधिकतम 60 वर्ग मीटर (कार्पेट एरिया) तक होगा। आवास एवं शहरी विकास कारपोरेशन (हड्को) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एन0एच0बी0) को सस्विडी के वितरण एवं प्रगति की निगरानी के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सी0एन0ए0) के रूप में नामित किया गया है। लाभार्थी की पहचान के लिए आधारकार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड, लाभार्थी के पतृक जनपद के राजस्व प्राधिकारी से जारी आवास स्वामित्व प्रमाण-पत्र को आधार माला जायेगा। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण राज्य सरकार से कोई अंशदान अपेक्षित नहीं है।

उक्त घटक के पात्र लाभार्थियों-ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 वर्ग के परिवारों के लिये आय प्रमाण-पत्र, आवास स्वामित्व प्रमाण-पत्र, पहचान-पत्र आदि का सत्यापन एवं ऋण प्रार्थना-पत्रों तथा उससे सम्बन्धित दस्तावेजों को तैयार करने हेतु राज्य नगरीय विकास अभिकरण(सूडा) को एजेंसी के रूप में नामित किये जाने का निर्णय किया गया है।

(ख) भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करके "स्वस्थाने" स्लम पुनर्विकास-

इस घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की भूमि/राज्य सरकार की भूमि/शहरी निकाय की भूमि एवं निजी स्वामित्व की भूमि पर बसे स्लमों के सभी पात्र स्लमवासियों को आवास प्रदान करने के लिये निजी सहभागिता से भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग किया जायेगा और उसी भूमि को स्व-स्थाने(इन-सीट्र) पुनर्विकास के लिये लिया जायेगा। स्लम पुनर्विकास के लिये निजी भागीदार का चयन खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। स्लमों पर स्व-स्थाने (इन-सीट्र) पुनर्विकास की परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ0ए0आर0)/हस्तान्तरण विकास अधिकार (टी0डी0आर0) आदि देकर प्रोत्साहित किया जायेगा।

स्लम पुनर्विकास परियोजना के अन्तर्गत दो संघटक हैं:-

- (1) "स्लम पुनर्वास संघटक" जो पात्र स्लम वासियों को बुनियादी सिविक अवसंरचना के साथ आवास प्रदान करेगा।

(2) "मुक्त विक्री संघटक" जो विकासकर्ताओं को बाजार में विक्री के लिए उपलब्ध होगा ताकि परियोजना को क्रस सब्सिडी दी जा सके।

स्लम पुनर्विकास परियोजना के लिये खुली बोली से सकारात्मक प्रीमियम अथवा नकारात्मक प्रीमियम प्राप्त हो सकता है। सकारात्मक प्रीमियम के मामले में, उच्चतम सकारात्मक प्रीमियम वाले विकासकर्ता का चयन किया जायेगा। नकारात्मक प्रीमियम के मामले में निम्नतम नकारात्मक प्रीमियम का प्रस्ताव करने वाले बोलीकर्ता का चयन किया जाएगा।

स्लम पुनर्विकास परियोजना के लिए प्रत्येक नगर निकाय का एकल परियोजना खाता होगा, जहाँ सकारात्मक प्रीमियम, केन्द्र सरकार से प्राप्त स्लम पुनर्वास अनुदान तथा राज्य सरकार अथवा अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशि को जमा कराया जाएगा और उन्हें नकारात्मक प्रीमियम वाली सभी स्लम पुनर्वास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए उपयोग में लाया जाएगा। निर्माण अवधि के दौरान पात्र लाभार्थियों को ट्रांजिट आवास की सुविधा विकासकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। पुनर्विकास स्लम परियोजनाओं में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति और वरिष्ठ नगरिकों को भूतल अथवा नीचे के मंजिलों में आवास आवंटन को प्राथमिकता दी जायेगी।

ऐसी सभी परियोजनाओं में पात्र स्लमवासियों के लिये सभी निर्मित आवासों हेतु ₹0 1.00 लाख प्रति आवास औसतन का स्लम पुनर्विकास अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा। वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 09-11-2015 द्वारा इस योजना में केन्द्रांश एवं राज्य सरकार का फंडिंग पैटर्न 60:40 निर्धारित किया गया है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सहायता ₹0 1.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश सरकार द्वारा ₹0 0.67 लाख स्वीकृत किया जायेगा। इस घटक के अन्तर्गत केवल उन्हीं स्लमवासियों को लाभान्वित किया जायेगा जो योजना लागू होने की तिथि 25-6-2015 को व उससे पूर्व स्व-स्थाने निवास कर रहे हों, जिसके लिए प्रमाण स्वरूप निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडीकार्ड, राशन कार्ड, विपुल कनेक्शन बिल, बैंक पासबुक अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(ग) भागीदारी में किफायती आवास(ए0एच0पी0)

इस घटक के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई0इ0ब्ल्यू0एस0) के लिये निजी क्षेत्रों में भागीदारी के माध्यम से किफायती आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। किफायती आवासों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अपनी एजेन्सियों अथवा निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं के साथ भागीदारी से किफायती आवास परियोजनाएँ तैयार की जायेंगी। आवासों को किफायती एवं कृय क्षमता के अनुरूप बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आवासों के विक्रय मूल्य की ऊपरी सीमा का निर्धारण किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ अन्य रियायतों जैसे किफायती लागत पर भूमि, स्टाम्प शुल्क में छूट, अतिरिक्त एफ.ए.आर./टी.डी.आर. आदि सुविधाओं को उपलब्ध कराया जायेगा। किफायती आवास परियोजनाओं में अन्य वर्गों के लिये आवासों का निर्माण सम्मिलित होगा किन्तु परियोजना इस घटक के अन्तर्गत तभी अनुमोदित की जा सकेगी जब उसमें

को प्रेषित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) हेतु निर्धारित की गयी अनिवार्य शर्तों की समय सीमा मिशन अवधि 2022 तक है। अनिवार्य शर्तों की समय सीमा का उल्लेख वर्षवार करते हुए सहमति भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त अनिवार्य शर्तें तथा उन्हें लागू करने की समय सीमा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	शर्तें (अथवा कार्यकारी आदेश/अधिसूचना/कानून बनाने के माध्यम से)	समय सीमा (वर्ष-वर्ष)
1	राज्य शहर/कस्बे के मास्टर प्लान में चिह्नित रिहायशी जोन में आने वाली भूमि के मामले में अलग से गैर कृषि अनुमति की शर्त को समाप्त करेंगे।	लागू है।
2	राज्य कफियाती आवास के लिए चिह्नित भूमि वाले मास्टर प्लान तैयार/संशोधित करेंगे।	वर्ष, 2016-17
3	राज्य ले-आउट अनुमोदनों और निर्माण करने की अनुमति हेतु एकल खिड़की, समयबद्ध स्वीकृति प्रणाली कार्यान्वित करेंगे।	लागू है।
4	राज्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास के लिए पूर्व अनुमोदित निर्माण करने की अनुमति और ले-आउट अनुमोदन प्रणाली अपनाएंगे अथवा निश्चित निर्मित क्षेत्रफल/प्लॉट क्षेत्रफल से कम क्षेत्र के लिए अनुमोदन से छूट प्रदान करेंगे।	लागू है।
5	राज्य प्रथम पक्ष द्वारा परिचालित मॉडल किराया अधिनियम अनुरूप नियम बनायेंगे अथवा मौजूदा किराया नियमों में संशोधन करेंगे।	वर्ष, 2017-18
6	राज्य अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफओएओआरओ)/फर्शी स्थल संसूचक (एफओएसओआईओ) अंतरणीय विकास अधिकार (टीओडीओआरओ) प्रदान करेंगे और स्लम पुनर्विकास और कम लागत आवास के सघनता मानदंडों में छूट प्रदान करेंगे।	अतिरिक्त एफओएओ आरओ का प्राविधान लागू है। टीओडीओआरओ एवं सघनता मानदंडों हेतु समय सीमा वर्ष, 2016-17

4. प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देशानुसार कार्य योजनाओं और परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसओएलओएसओएमओसीओ) का निम्नवत् गठन किया गया है:-

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0शासन	उपाध्यक्ष
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, 30प्र0शासन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, 30प्र0शासन	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व 30प्र0शासन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, 30प्र0शासन	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, 30प्र0शासन	सदस्य

8. इस मिशन के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी उप-मिशन बनाया जायेगा, जो आवासों के तीव्र एवं गुणवत्तापरक निर्माण के लिये आधुनिक, अभिनव एवं हरित प्रौद्योगिकियों तथा भवन सामग्री के प्रयोग के सम्बन्ध में सहायता प्रदान करेगा। केन्द्र सरकार की सहायता से प्रदेश तथा शहर स्तर पर तकनीकी और परियोजना प्रबन्धन कक्ष का गठन किया जायेगा। इनके द्वारा आयोजना, अभियान्त्रिकी, सामाजिक गतिशीलता तथा वित्तीय आयोजना आदि विभिन्न क्षमताओं पर विचार कर सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे। राज्य स्तरीय तकनीकी कक्ष तथा शहर स्तरीय तकनीकी कक्ष के गठन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

9. प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रई पार्टी एजेन्सियों को शामिल करते हुए गुणवत्ता निगरानी और आश्वासन रिपोर्ट तैयार करायी जायेगी। इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जायेगी। प्रदेश सरकार द्वारा मिशन के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की लेखा परीक्षा करायी जाएगी। यह लेखा परीक्षाएं राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक तकनीकी संस्थाओं तथा अन्य विश्वस्तरीय संस्थाओं के माध्यम से करायी जाएगी। सोशल आडिट प्लान में भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। "सबके लिये आवास कार्ययोजना" तैयार करने के लिए भी भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत के आधार पर वित्तपोषण किया जायेगा। केन्द्रीय सहायता 40%, 40% व 20% की तीन किस्तों में जारी की जायेगी। इसी अनुपात में राज्यांश भी जारी किया जायेगा। अगली किस्त प्राप्त करने के लिए पूर्व में अवमुक्त किस्त के 70 प्रतिशत का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना के अन्तर्गत जारी की गयी सहायता को अलग खाते में रखा जायेगा। सबके लिए आवास कार्ययोजना (एचओएफओपीओओएओ) के आधार पर भारत सरकार से वित्तीय सहायता की अपेक्षाओं को प्रक्षेपित किया जायेगा। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एओआईपीओ) प्रस्तुत की जायेगी, जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा वार्षिक बजट का निर्धारण किया जाएगा।


10. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णयों के अनुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी नियमित रूप से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
18/3/2018
श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव
L

संख्या-162-2016/623 (1)/69-1-2016, तद्विनांक।

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव 30प्र0 शासन।
- 3- संयुक्त सचिव(हाउसिंग फार आल) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 4- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, 30प्र0 शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन।
- 6- प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन।
- 7- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 8- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, 30प्र0 शासन।
- 9- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 10- प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, 30प्र0 शासन।
- 11- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 12- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, 30प्र0 शासन।
- 13- प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 14- निदेशक,(हाउसिंग फार आल निदेशालय), भारत सरकार आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 15- सचिव, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 16- समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, उत्तर प्रदेश।
- 17- आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 18- नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 19- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 20- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
- 21- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 22- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, जल निगम, 30प्र0, लखनऊ।
- 23- निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
- 24- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
- 25- संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

18.03.2016
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।